

न्यायालय—बलराम कुमार देवांगन, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुंगेली (छोगो)

//रिमाण्ड आदेश//

क्रमांक क्यू/ मु0न्या0मजि0/2023

मुंगेली दिनांक—31/10/2023

मैं बलराम कुमार देवांगन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुंगेली दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये एतद्वारा आदेश जारी करता हूं कि जिला मुंगेली में पदस्थ कंडिका 2 में उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा कंडिका 3 में उल्लेखित माह—नवम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश दिनांक को अपने स्टाफ सहित न्यायालय में उपस्थित रहकर अपरान्ह 3:00 बजे से सध्या 5:00 बजे तक रिमाण्ड ड्यूटी निष्पादित करेंगे।

माह—नवम्बर 2023

क्र0	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम	रिमाण्ड कार्य दिनांक
01	सुश्री श्वेता ठाकुर न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी मुंगेली (छोगो)	दिनांक 01.11.2023 से दिनांक 15.11. 2023 तक
02	श्रीमति रेशमा बैरागी पटेल न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी मुंगेली (छोगो)	दिनांक 16.11.2023 से दिनांक 30. 11.2023 तक
03	श्री अनंतदीप तिर्की न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी लोरमी, मुंगेली (छोगो)	दिनांक 01.11.2023 से दिनांक 30.11. 2023 तक (लोरमी न्यायालय क्षेत्रांतर्गत)
04	श्री बलराम कुमार देवांगन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुंगेली (छोगो)	क्र0 1 से 3 तक के अधिकारीगण मुख्यालय से बाहर रहने की दशा में रिमाण्ड कार्य संपादित किया जावेगा।

नोट :-

यदि किसी कारणवश कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमाण्ड ड्यूटी के दिन अवकाश पर रहते हैं तो कार्य विभाजन पत्रक अनुसार या अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सहमति लेकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचित कर रिमाण्ड ड्यूटी संपादित करेंगे।

दिनांक— 31.10.2023

स्थान—मुंगेली (छोगो)

सही /—
(बलराम कुमार देवांगन)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मुंगेली (छोगो)

प्रतिलिपि

- 1— प्रस्तुतकार, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुंगेली की ओर सूचनार्थ ।
- 2— कार्यालय माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय, मुंगेली ।
- 3— श्रीमति रेशमा बैरागी पटेल/सुश्री श्वेता ठाकुर/श्री अनंतदीप तिर्की, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला मुंगेली की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- 4— अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ मुंगेली ७०गो की ओर सूचनार्थ ।
- 5— प्रस्तुतकार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुंगेली ।
- 6— नजारत विभाग, मुंगेली की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- 7— जिला अभियोजन अधिकारी, जिला मुंगेली ७०गो की ओर सूचनार्थ कि रिमाण्ड ड्यूटी के दिन किसी एक सहायक जिला अभियोजन अधिकारी की ड्यूटी लगावें ।
- 8— पुलिस अधीक्षक, मुंगेली की ओर सूचनार्थ एवं जिले के समस्त आरक्षी केन्द्र/चौकी को अवगत कराने हेतु प्रेषित ।
- 9— रक्षित निरीक्षक, मुंगेली की ओर सूचनार्थ तथा न्यायालय में पदस्थ कोर्ट मोहर्रिंग को रिमाण्ड ड्यूटी पर आवश्यक रूप से उपस्थित रखने सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(बलराम कुमार देवांगन)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मुंगेली (७०गो)

;